



Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

प्रथम मासिक रिपोर्ट

फरवरी 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना	3
2. विभागीय कार्यकलाप	3
3. IFMS 3.0.....	4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण	10
(ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण	10
(iii)पेंशन भुगतान आदेश	11
5. परिवेदना निवारण	14
6. वृतांत	14
7. नवीन संशोधन/नियम/आदेश	15

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसंबर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा) द्वारा किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :-

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियां जारी करने, स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्द्रीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों का भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

3. IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :-

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर लॉगईन कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्प्यूटेशन की अधिकृतियां ई-हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।
- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.12.2025 तक लगभग 53226 ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।
- दिनांक 30.09.2023 के पश्चात के प्रोविजनल सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्प्यूटेशन की ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी है।
- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई-हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित की जा चुकी है।
- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।
- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजिटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नहीं है।

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर नीचे दिये गये स्क्रीन शॉट्स के अनुसार कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paper less है।

कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

< Back | Employee Management > Pension Request >

My Information <

Employee Self Service 1

1 Personal Details 2 Employee Service 3 Address 4 Family Details And Nomination 5 Bank Details 6 Commutation 7 Pay Entitlement

Personal Details

Employee Photo

Upload Recent Employee Photograph*

You can upload a JPEG. Maximum file size is 200KB. Height*Width(800*600)

Upload

Employee Code: RJJPI98919001154

Janadhaar id *: 5121752751

Member id *: Jagdish Chandra Meena | 36678806339

Name *

Gender

Date Of Birth

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India, All rights reserved.

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

Employee Code: RJJPI98919001154

Janadhaar id *: 5121752751

Member id *: Jagdish Chandra Meena | 36678806339

Name *: JAGDISH CHANDRA MEENA

Gender: Male

Date Of Birth: 28/10/1965

Father Name *: NAND LAL MEENA

Mother Name *: NARAYANI DEVI

Marital Status: Married

Spouse Name (Field Related To Family Details): Kamla Devi

Disability Status: Yes No

Email id *: meenajagdish1965@gmail.com

Mobile Number *: 9352726167

Nationality *: Indian

Domicile of Rajasthan: Yes No

Home State *: Rajasthan

Home District *: Jaipur

Home Town *: Jaipur Greater

Social Category: Schedule Tribe

Religion *: Hindu

Pan Number: AHQPM0308L

Aadhar Reference Number: 444813901447399

Belong to Minority: Yes No

Documents Types *

Choose File | No file chosen | Max file size 2MB

+ Add a new document

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India, All rights reserved.

कर्मचारी का सेवा से संबंधी विवरण

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajjFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

< Back | Employee Management > | Pension Request >

My Information <

Employee Self Service 1

- Personal Details
- Employee Service
- Address
- Family Details And Nomination
- Bank Details
- Commutation
- Pay Entitlement

Service Details

Service Status *	Regular	Sub Service Status *	Permanent	Employee Type *	Active
Service Category *	Ministerial	Sub Service Category/Cadre *	Rajasthan Civil Subordinate And Ministerial Service	Designation As Per Service Cadre *	Administrative Officer
Entitlement Status *	Benefit before 1-1-2004	Gazetted/Non Gazetted *	Gazetted	Service Quota *	NA
Parent Department *	Rajasthan Bio-Fuel Authority	Current Department *	Pension and Pensioners' Welfare Department, Jaipur	Designation Of Appointing Authority *	Director
Appointed As *	JUNIOR ASSISTANT	Current Designation *	Administrative Officer	Date Of Present Designation *	06/08/2025
Joining Date *	06/11/1989	Joining Time(Forenoon/Afternoon) *	Forenoon	Superannuation Date *	31/10/2025

Need Help/Report an Issue?
Click here to share your feedback

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India. All rights reserved.

कर्मचारी का वर्तमान एवं मूल घर के पते संबंधी विवरण

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajjFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

My Information <

Employee Self Service 1

- Personal Details
- Employee Service
- Address
- Family Details And Nomination
- Bank Details
- Commutation
- Pay Entitlement

Address Details

Permanent Address					
State *	Rajasthan	District *	Jaipur	Area	<input type="radio"/> Rural <input checked="" type="radio"/> Urban
Municipal	BAGRU	Ward	WARD 45	House No *	37-A, GANGASAGAR COLONY, AGRA ROAD NEAR BACHPAN SCHOOL
Pin Code *	302031	Assembly	Bagru		
Current Address					
<input type="checkbox"/> Same As Permanent Address					
State	Rajasthan	District	Jaipur	Area	<input type="radio"/> Rural <input checked="" type="radio"/> Urban
Municipal	BAGRU	Ward	WARD 45	House No	37-A, GANGASAGAR COLONY, AGRA ROAD NEAR BACHPAN SCHOOL
Pin Code	302031	Assembly	Bagru		

Need Help/Report an Issue?
Click here to share your feedback

Verify & Save

Previous Next

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India. All rights reserved.

कर्मचारी का पारिवारिक एवं नॉमिनेशन संबंधी विवरण

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

My Information < Employee Self Service ⓘ

Personal Details ✓ Employee Service ✓ Address 3 Family Details And Nomination 4 Bank Details 5 Commutation 6 Pay Entitlement 7

Family Details And Nomination

Family's Details

#	Name	Relationship	Date of Birth	Janadhaar Id	Janadhaar Member Id	Gender	Action
1	VEDPRAKASH MEENA	Son	Jul 5, 1986	0	345726	Male	 
2	NARAYANI DEVI	Mother	Sep 1, 1941	0	2128609	Female	 
3	Kamla Devi	Wife	Jan 1, 1967	5121752751	51155821717	Female	 
4	SEEMA MEENA	Daughter	Jan 12, 1995	0	345728	Female	 
5	PREM MEENA	Daughter	Oct 11, 1989	0	345727	Female	 

Janadhaar Id Member Id Name *
Relationship * Date Of Birth * Gender *

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A A- | JAGDISH CHANDRA MEENA

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

Physically Disabled Yes No
Dependent Yes No
Is Employed Yes No

Add

Nominee Details

Schemes	Name Of Nominee	Relation	Share %	Action
Group Insurance	Kamla Devi	Wife	100	 
Gratuity	Kamla Devi	Wife	100	 
Commutation	Kamla Devi	Wife	100	 
Arrears	Kamla Devi	Wife	100	 

Schemes * Name Of Nominee * Relation * Share % * Add

Save as Draft

Previous Next

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

कर्मचारी का बैंक संबंधी विवरण

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

< Back | Employee Management > Pension Request >

My Information <

Employee Self Service ⓘ

1 Personal Details | 2 Employee Service | 3 Address | 4 Family Details And Nomination | 5 Bank Details | 6 Commutation | 7 Pay Entitlement

Bank Details

Bank Name	Branch Name	IFSC Code *
STATE BANK OF INDIA	SECRETARIAT, JAIPUR	SBIN0031031
Bank Account No. *		
51089030216		

*If Bank details are not correct than refresh your data from Pay-Manager.

Previous **Next**

Need Help/Report an Issue?
Click here to share your feedback

copyrights © 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India, All rights reserved.

कर्मचारी का कम्यूटेशन संबंधी विवरण

RajIFMS | My Requests | Pay & Allowance | Taxes | Leaves | Reports & Downloads | Others | Help & Support

< Back | Employee Management > Pension Request >

My Information <

Employee Self Service ⓘ

1 Personal Details | 2 Employee Service | 3 Address | 4 Family Details And Nomination | 5 Bank Details | 6 Commutation | 7 Pay Entitlement

Employee Details

Name	Date Of Retirement
JAGDISH	Oct 31, 2025

Commutation

Commutation Required	Date *	Commutation Percentage
<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	31/10/2025	33.33

This is Certified that : JAGDISH (the undersigned) agree and undertake to refund or make good any amount to which I am not entitled or any amount which may be credited to my account in excess of the amount to which I am or would be entitled.

I further hereby undertake and agree to bind myself and my heirs, successor, executors, legal representatives and administrators to indemnify the Government of Rajasthan through Pension and Pensioners Welfare Department/any other authorities authorized by Govt. of Rajasthan from and against any financial /monetary loss suffered or incurred by the Government of Rajasthan in so crediting my pension to my account under the rules and to forthwith pay the same to the Government of Rajasthan.

I also irrevocably authorize the Pension and Pensioners Welfare Department/any other authorities authorized by Govt. of Rajasthan to recover the due amount under prevailing law by giving direction to my account holder bank(s) to debit to my said account or any other account/deposits belonging to me in the possession of the banks situated in India.

I shall be responsible for each and every information submitted in this application form. If any information found to be false I will be fully responsible for all legal action.

The undersigned agree and undertake also to refund any over payment of salary and other emoluments /personal claims for which I am/was not entitled. I also agree to refund/repay any amount of penalties imposed by the authority of Government of Rajasthan, any court, audit objections by AG and / or any department of Government Of Rajasthan and any amount so decided by the Government under rules / law / notification etc.

I, the undersigned agree to produce/upload life certificate (under rule 124 of RCS pension rules 1996) or verification of continuous existence through any of the authorized modes available to the pensioner to submit it digitally for continuation of payment of pensionary benefits whenever it becomes due. Failing which my payment of pensionary benefits shall not be released by pension payment officer/authority.

Verify & Save

Previous **Next**

Need Help/Report an Issue?
Click here to share your feedback

copyrights © 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India, All rights reserved.

कर्मचारी का वेतन संबंधी विवरण

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A- | JAGDISH CHANDRA MENA

RojIFMS My Requests Pay & Allowance Taxes Leaves Reports & Downloads Others Help & Support

Employee Management Pension Request

My Information

Employee Self Service

Personal Details Employee Service Address Family Details And Nomination Bank Details Commutation Pay Entitlement

Pay Entitlement Details

Pay Commission * Seventh	Date Of Entry In Existing Pay Band & Grade Pay * 12/8/2025	Pay Scale * L12(44300-140100)
Date Of Present Pay Scale * 5/11/2016	Basic Pay 65000	Special Pay 0
NPA 0	Monthly Pension Treasury * Jaipur TREASURY (PPO) (1900)	

Your Next Level Office are following.If you change want that than select other:
Office Name:
Director, Pension & Pensioners Welfare Department, Jaipur
Office Code:
904
HO Name:
LEELA RAM MENA

Employee Office Other

As per the "Pay Manager", the 65000(Current Basic Pay), is showing in 48000(12) (Pay Scale), But the 65000(Current Basic Pay) should be in A194(5400),03(5400),12(4800),14(5400) (Pay Scale). So, please before continue the Pension Request, update proper pay scale on "Pay Manager" and after that click on "Fetch Data from Pay Manager" for data fetch.

Submit Previous

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India. All rights reserved.

SSO ID Login Rajasthan x Employee x +

ifms.rajasthan.gov.in/employeeManagement/#/ess/profileUpdate

Integrated Financial Management System
वित्त विभाग | FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Skip to main content | A+ A- | JAGDISH CHANDRA MENA

RojIFMS My Requests Pay & Allowance Taxes Leaves Reports & Downloads Others Help & Support

Employee Management Pension Request

My Information

Employee Self Service

Personal Details Employee Service Address Family Details And Nomination Bank Details Commutation Pay Entitlement

Pay Entitlement Details

Pay Commission * Seventh	Date Of Entry In Existing Pay Band & Grade Pay * 12/8/2025	Pay Scale * L12(44300-140100)
Date Of Present Pay Scale * 5/11/2016	Basic Pay 65000	Special Pay 0
NPA 0	Monthly Pension Treasury * Jaipur TREASURY (PPO) (1900)	

Your Next Level Office are following.If you change want that than select other:
Office Name:
Director, Pension & Pensioners Welfare Department, Jaipur
Office Code:
904
HO Name:
LEELA RAM MENA

Employee Office Other

You know office ID Don't know

Enter Office Code

As per the "Pay Manager", the 65000(Current Basic Pay), is showing in 48000(12) (Pay Scale), But the 65000(Current Basic Pay) should be in A194(5400),03(5400),12(4800),14(5400) (Pay Scale). So, please before continue the Pension Request, update proper pay scale on "Pay Manager" and after that click on "Fetch Data from Pay Manager" for data fetch.

Submit Previous

copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt. of Rajasthan, India. All rights reserved.

Search 2:50 PM 13-Oct-25

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	381082
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	209910
3.	अन्य पेंशनर्स	
I	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
II	राजस्व मण्डल/राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष/सदस्य) के पेंशनर्स	22465
III	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	18624
IV	04.09.2012 (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	4886
V	मीसा/डीआईआर पेंशनर्स	1622
VI	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स	794
VII	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	473
VIII	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
IX	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) के पेंशनर्स	19
X	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
XI	स्वतंत्रता सेनानी/टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :-

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1.	70 -75 वर्ष	104593
2.	76 -80 वर्ष	53392
3.	81 -85 वर्ष	31418
4.	86 -90 वर्ष	13089
5.	91 -95 वर्ष	3251
6.	96 -100 वर्ष	610
7.	100 से अधिक आयु	115

4.3 पेंशन भुगतान आदेश

- I. दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक पेंशन विभाग में कुल **12332** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **12292** पेंशन भुगतान आदेश(PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	3494	3478
2.	अजमेर	1676	1670
3.	बीकानेर	1116	1115
4.	जोधपुर	1475	1471
5.	भरतपुर	1880	1875
6.	कोटा	962	961
7.	उदयपुर	1729	1722
	कुल	12332	12292

- II. दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक पेंशन विभाग में कुल **1663** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **1643** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	435	421
2.	अजमेर	274	273
3.	बीकानेर	193	190
4.	जोधपुर	259	257
5.	भरतपुर	134	134
6.	कोटा	108	108
7.	उदयपुर	260	260
	कुल	1663	1643

- III. दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अप्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	3749	3240	509
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	297	101	196
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	629	424	205

4.	पुलिस विभाग	496	399	97
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	661	549	112
6.	आयुर्वेद विभाग	201	95	106
7.	पशुपालन विभाग	201	133	68
8.	राजस्व विभाग	203	146	57
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	268	196	72
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	208	151	57
	कुल	6913	5434	1479

- IV. दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **1314** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **1168** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	365	309
2.	अजमेर	182	148
3.	बीकानेर	157	142
4.	जोधपुर	225	201
5.	भरतपुर	84	79
6.	कोटा	94	92
7.	उदयपुर	207	197
	कुल	1314	1168

- V. दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **247** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **220** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	68	50
2.	अजमेर	41	39
3.	बीकानेर	23	19
4.	जोधपुर	19	18
5.	भरतपुर	27	27
6.	कोटा	23	23
7.	उदयपुर	46	44
	कुल	247	220

VI. दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग को प्राप्त पेंशन प्रकरणों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिकशिक्षा विभाग	1020	773	247
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	70	53	17
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	179	112	67
4.	पुलिस विभाग	165	125	40
5.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	181	123	58
6.	आयुर्वेद विभाग	38	19	19
7.	पशुपालन विभाग	49	27	22
8.	राजस्व विभाग	67	40	27
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	68	46	22
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	61	42	19
	कुल	1898	1360	538

4. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	0	94	83	11
2.	पीजीआरसी	15	833	820	28
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	0	16	15	1

5. वृत्तांत

(1) पारिवारिक पेंशनर श्रीमती स्नेह खण्डेलवाल (पीपीओ- 500751) के सुपुत्र श्री पंकज खण्डेलवाल ने पेंशन विभाग से सम्पर्क किया कि उनकी माताजी की आरजीएचएस कार्ड में श्रेणी "B" थी जिसकी वजह से उनकी माताजी को घुटने के ऑपरेशन के लिए कॉटेज वार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। विभाग द्वारा कोष कार्यालय जयपुर (पेंशन) को निर्देशित कर एक दिवस में ही सातवें वेतनमान का पेंशन संशोधन करवाकर उनकी श्रेणी परिवर्तित करवाई गई। उनके द्वारा निम्न उद्गार व्यक्त किए गए:-

"नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा और आपके अथक प्रयासों से मेरी माताजी के घुटने का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। मैं आज/कल में आपसे मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।"

(2) श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा FPP0 -761710 ने पेंशन विभाग से सम्पर्क किया। इनकी जन्मतिथि निर्धारित नहीं होने के कारण बढी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही थी। श्रीमती चन्द्रकांता शर्मा की जन्मतिथि निर्धारित कराई गई एवं बढी हुई पेंशन प्रारम्भ की गई। पेंशन विभाग की त्वरित कार्यवाही से श्रीमती चन्द्रकांता ने अत्यंत संतुष्टि एवं हर्ष व्यक्त किया।

(3) श्री सहीराम जी ने अपने पिताजी स्व. श्री मनीराम (पूर्व सैनिक) पीपीओ-149288 के प्रकरण में पारिवारिक पेंशन के लिए दिनांक 15.01.2026 को विभाग में सम्पर्क किया व 15.01.2026 को ही पारिवारिक पेंशन बाबत पेंशन विभाग द्वारा अधिकृति जारी कर दी गई। श्री सहीराम जी द्वारा विभाग की त्वरित कार्यवाही पर अत्यंत हर्ष व्यक्त किया।

(4) अविवाहित पुत्री सुश्री गीता शर्मा FPPO - 2029969 ने अपने पिता स्व. श्री रामकिशन शर्मा की मृत्यु उपरांत अधिसूचना दिनांक 04.09.2012 के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करवाने हेतु पेंशन विभाग में सम्पर्क किया। पेंशन विभाग द्वारा FPPO जारी किया गया। सुश्री गीता शर्मा जी ने पेंशन विभाग के साथ अपने अनुभव को "उत्कृष्ट अनुभव" बताया।



6. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वाचन

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67 में संशोधन

Amendment of rule 67:-In rule 67 of the said rules, the existing EXPLANATION (1) shall be substituted by the following, namely:- "(1) A son/daughter shall become ineligible for family pension from the date he/she gets married or on earning a monthly income exceeding rupees 12,500/- per month. He/she shall be required to produce six monthly a certificate regarding marital status and an annual certificate regarding monthly income:

Provided that in case of son/daughter suffering from a mental or physical disability,-

(i) his/her marital status shall not affect the eligibility for family pension; and

(ii) he/she shall not be ineligible, if his/her monthly income does not exceed the total amount of rupees 8,850/- and dearness relief payable thereon at the prevailing rate."

उक्त नियम दिनांक 10.10.2025 से लागू किया गया है।

2. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67 में विधवा/तलाकशुदा /अविवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने संबंध में वित्त विभाग का निर्वाचन

" केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में उपलब्ध प्रावधान एवं ओ. एम दिनांक 28.04.2011 में जारी स्पष्टीकरण के मद्देनजर विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु/तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक/पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो।

वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 321200856 दिनांक 05.12.2012 एवं आईडी संख्या 592400047 दिनांक 18.03.2024 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधवा पुत्री/तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु तथा तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक/पेंशनर या उसके जीवनसाथी के जीवित रहने के समय ही हो गया हो गया हो एवं वह उन पर आश्रित हो। कार्मिक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि इन पुत्रियों की पारिवारिक पेंशन की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 321200656 दिनांक 05.12.2012 द्वारा वित्त (नियम) विभाग की पत्रावली संख्या प.10(66)वित्त/राजस्व/2010 पार्ट-1 पर पूर्व में दिए गए मार्गदर्शन के क्रम में जो प्रकरण पूर्व में निर्णित हो चुके हैं, उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा। ”

3. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में विवाहित विशेष योग्यजन पुत्री को पारिवारिक पेंशन के संबंध में वित्त विभाग का निर्वचन

“ 1. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप की विवाहित विशेष योग्यजन पुत्री को पेंशन नियम 67 में पारिवारिक पेंशन देय होने के संबंध में उसके माता-पिता के साथ निवास करना इन नियमों में प्रावधित नहीं है।

2. नियम 87 में विशेष योग्यजन पुत्र/पुत्री का पीपीओ में नाम अंकित करने का प्रावधान है। इस संबंध में यह अवगत करवाया जाता है कि विवाहित विशेष योग्यजन पुत्री का माता-पिता पर आश्रित होने तथा नियमों में दी गई प्राथमिकता क्रम में किसी अन्य दावेदार के नहीं होने की स्थिति में विवाहित विशेष योग्यजन पुत्री का नाम अंकित किया जाना चाहिए। ”

4. पेंशन अदालत

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाशों के नकदीकरण आदि समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का समय पर भुगतान हो, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी, जिनके द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन सेट के लिए आवश्यक प्रपत्र/अदेय प्रमाण -पत्र/विभागीय जॉच नहीं होने के प्रमाण -पत्र इत्यादि जारी करना अपेक्षित है एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 के अन्तर्गत पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ किए जाने का प्रावधान है, परन्तु विभागों द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति दिनांक पर पेंशन परिलाभ की अधिकृतियाँ जारी नहीं हो पाती है।

सम्बन्धित व्यक्तियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर उन्हे आर्थिक कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर इस संबंध में न्यायालयों में वाद भी बढ़ रहे हैं। पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण कई मामलों में राज्य सरकार को ब्याज का अनावश्यक भुगतान भी करना पड़ता है।

राज्य कार्मिको की सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान में विलम्ब एवं पेंशन प्रकरण तैयार करने एवं पेंशन विभाग को प्रकरण प्रस्तुत कर सेवानिवृत्ति परिलाभ स्वीकृत कराने में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु कृपया केन्द्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 25.03.2011 एवं पत्र दिनांक 05.01.2023 के अनुरूप राज्य में वर्ष में 4 बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाना विचाराधीन है। माह अप्रैल, 2026 में प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन करवाया जाना विचाराधीन है, जो पारिवारिक पेंशनर्स को समर्पित होगी एवं जिसमें विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री तथा दिव्यांग पेंशनर्स के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जायेगी।

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj.nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in